न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 221/2018

अनवान :

1. निरंजन पुत्र श्री दयाराम जाति जाट सिहाग निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रवि प्रकाश पुत्र दयाराम जाति जाट सिहाग निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादी
वकील श्री प्रभुराम गोदारा – प्रतिवादी सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक : 15.1.19

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 11 एएमएस के खाता सं0 44/41 के मु0नं0 51 के किला नं0 6, 7 की 0.506 है0, किला नं0 14 ता 17 की 1.012 है0 है0 जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 दयाराम के नाम 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 10 एएमएस के खाता सं0 30/26 के मु0नं0 32 के किला नं0 22, 23 की 0.506 है0 मु0नं0 35 के किला नं0 11 ता 13 की 0.759 है0 किला नं0 18 ता 23 की1.518 है0 मु0नं0 36 के किला नं0 1 ता 3 की 0.759 है0 किला नं0 8 ता 13 की 1.518 है0, किला नं0 14 से 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 5 की 0.253 है0 मु0नं0 38 के किला नं0 1, 2, 3 की 0.759 है0 मु0नं0 43 के किला नं0 21, 22 की 0.506 है0 मु0नं0 50 के किला नं0 1, 2 की 0.506 है0 किला नं0 9 ता 12 की 1.012 है0 किला नं0 19, 20 की 0.506 है0 कुल क्षेत्रफल 11.638 है0 जिसमें से नहरी 11.287 है0 गै0मु0रास्ता 0.251 है0, गै0मु0 खाला 0.100 है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दयाराम का 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

प्रतिवादी सं0 1 दयाराम को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता नत्थूराम से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है। वाद कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दयाराम के साथ साथ मुझ वादी निरंजन व प्रतिवादी सं0 2 रवि प्रकाश का जन्म से हक व हिस्सा है। वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 दयाराम के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। लेकिन वाद भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से काश्त व उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है।

उपखण्डाधिकारी(राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि रोही मौजा चक 11 एएमएस के खाता सं0 44/41 की कुल 1.518 है0 नहरी कृषि भूमि में वादी के पिता दयाराम का 2/3 हिस्सा इसी प्रकार चक 10 एएमएस के खाता सं0 30/26 की कुल 11.638 है0 कृषि भूमि में वादी के पिता दयाराम का 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। दोनों चकों में प्रतिवादी सं0 1 दयाराम 2/3 हिस्सा की बजाय वादी निरंजन व प्रतिवादी दयाराम व प्रतिवादी सं0 2 रविप्रकाश बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है ?
2. आया कि वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 रविप्रकाश का जन्म से हक निहित है ?
3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में वादी निरंजन पुत्र दयाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 11 एएमएस खाता सं0 44/41 सम्वत् 2074–77 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 11 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 10 एएमएस के खाता सं0 30/26 सम्वत् 2074–77 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 10 एएमएस सम्वत् 2038 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 दयाराम को अपने पिता नत्थूराम से विरासतन प्राप्त हुई है तथा संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है। वाद कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दयाराम के साथ साथ वादी निरंजन व प्रतिवादी सं0 2 रवि प्रकाश का जन्म से हक व हिस्सा है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 10 व 11 एएमएस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई है, तनकीवार निर्णय इस प्रकार है :–

तनकी सं0 1 व 2 दोनों तनकीयात एक दुसरे पर आधारित है इसलिए दोनों तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जाना उचित होगा। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 दयाराम को अपने पिता नत्थूराम से विरासतन प्राप्त होना संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 11 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 व प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 10 एएमएस सम्वत् 2038 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है जिनमें वाद भूमि वादी के दादा नत्थूराम वल्द शेराराम के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं चक 10 व 11 एएमएस की वर्तमान जमाबन्दीयों में प्रत्येक में वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 दयाराम के नाम 2/3–2/3 हिस्सा दर्ज है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 के अनुसार दयाराम के वारिसान में पत्नी सुमित्रा व दो पुत्र रवि प्रकाश व निरंजन होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला–हनुमानगढ़

होना अंकित है। इस प्रकार दोनों चकों में से प्रत्येक चक की कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक का 2/9–2/9 हिस्सा बनता है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है एवं प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने अपने जबाबदावा में वाद भूमि में राजीनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने पर अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई आपत्ति व एतराज नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार उक्त दोनों तनकीयात वाद वादी साबित होने के कारण वादी के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार दोनों तनकीयात वाद वादी साबित होने के कारण वादी के पक्ष में तय की गई है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा **चक 11 एएमएस** के खाता सं0 44/41 के मु0नं0 51 के किला नं0 6, 7 की 0.506 है0, किला नं0 14 ता 17 की 1.012 है0, कुल क्षेत्रफल 1.518 है0 जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 दयाराम के नाम 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है व इसी प्रकार **चक 10 एएमएस** के खाता सं0 30/26 के मु0नं0 32 के किला नं0 22, 23 की 0.506 है0 मु0नं0 35 के किला नं0 11 ता 13 की 0.759 है0 किला नं0 18 ता 23 की1.518 है0 मु0नं0 36 के किला नं0 1 ता 3 की 0.759 है0 किला नं0 8 ता 13 की 1. 518 है0, किला नं0 14 से 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 5 की 0.253 है0 मु0नं0 38 के किला नं0 1, 2, 3 की 0.759 है0 मु0नं0 43 के किला नं0 21, 22 की 0.506 है0 मु0नं0 50 के किला नं0 1, 2 की 0.506 है0 किला नं0 9 ता 12 की 1.012 है0 किला नं0 19, 20 की 0.506 है0 कुल क्षेत्रफल 11.638 है0 जिसमें से नहरी 11.287 है0 गै0मु0रास्ता 0.251 है0, गै0मु0 खाला 0.100 है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दयाराम का 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 दयाराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..15.1.19..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 221/2018

अनवान :

1. निरंजन पुत्र श्री दयाराम जाति जाट सिहाग निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रवि प्रकाश पुत्र दयाराम जाति जाट सिहाग निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री प्रभुराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा **चक 11 एएमएस** के खाता सं0 44/41 के मु0नं0 51 के किला नं0 6, 7 की 0.506 है0, किला नं0 14 ता 17 की 1. 012 है0, कुल क्षेत्रफल 1.518 है0 जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 दयाराम के नाम 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है व इसी प्रकार **चक 10 एएमएस** के खाता सं0 30/26 के मु0नं0 32 के किला नं0 22, 23 की 0.506 है0 मु0नं0 35 के किला नं0 11 ता 13 की 0.759 है0 किला नं0 18 ता 23 की1.518 है0 मु0नं0 36 के किला नं0 1 ता 3 की 0.759 है0 किला नं0 8 ता 13 की 1.518 है0, किला नं0 14 से 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 5 की 0.253 है0 मु0नं0 38 के किला नं0 1, 2, 3 की 0.759 है0 मु0नं0 43 के किला नं0 21, 22 की 0.506 है0 मु0नं0 50 के किला नं0 1, 2 की 0.506 है0 किला नं0 9 ता 12 की 1.012 है0 किला नं0 19, 20 की 0.506 है0 कुल क्षेत्रफल 11.638 है0 जिसमें से नहरी 11.287 है0 गै0मु0रास्ता 0.251 है0, गै0मु0 खाला 0.100 है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दयाराम का 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 दयाराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(seal: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

(stamp: उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला–हनुमानगढ़)